RTI Matter

No.10/5/(65)/2013-PG (RTI)
Government of India
Ministry of Power
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001
Telefax No. 23730264

****

Dated: 3/1/2014

To,

Shri Krishan Kumar Sinha,
D-5, Anand Niketan,
Post Shankar Nagar,
Avanti Vihar,
Raipur, Chattisgarh.

Sub: Information sought for under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Reference is invited to your application(online registration no. POWER/R/2013/00402) under provisions of RTI Act, 2005 sent to Nodal Officer (RTI), M/o Power on 23/12/2013 and received in PG Section on 23/12/2013 seeking information on the subject mentioned in your online application.

As per the provisions of the Act, the information available can be provided. The information in respect of part (b) and (c) of your application is available with PGCIL, Gurgaon and CEA, R.K.Puram, New Delhi for which your application is being transferred to them for further appropriate action.

Shri Ghanshyam Prasad, Director (PG) is the Appellate Authority, Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Dehli-110001.

Yours faithfully,

(Ajay Joshi)
Under Secretary (PG) & CPIO

Copy to

Nodal Officer, RTI, CEA, R.K. Puram, New Delhi along with copy of RTI application dated 23/12/2013 from Shri Krishan Kumar Sinha with the request that in terms of provisions of Sec 6(3) of the Act the aforesaid RTI application may be taken as transferred to provide available information to the applicant in terms of provision of the RTI Act.

CPIO/ Nodal Officer, RTI, PGCIL, Gurgaon along with RTI application dated 23/12/2013 from Shri Krishan Kumar Sinha with the request that in terms of provisions of Sec 6(3) of the Act the aforesaid RTI application may be taken as transferred to provide available information to the applicant in terms of provision of the RTI Act.

CPIO & US (RTI), MOP wrt to Registration No. POWER/R/2013/00402.

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	POWER/R/2013/00402	**Date of Receipt :**	23/12/2013
Type of Receipt :	Local Receipt	**Language of Request :**	English
Name :	Krishna Kumar Sinha	**Gender :**	Male
Address :	D-5, Anand Niketan, P.O-Shankar Nagar, Avanti Vihar, Raipur		
State :	Chattisgarh	**Country :**	Details not provided
Phone No. :	Details not provided	**Mobile No. :**	Details not provided
Email :	Details not provided		
Status(Rural/Urban) :	Details not provided	**Education Status :**	Details not provided
Letter No. :	Details not provided	**Letter Date :**	18/12/2013
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	**Citizenship Status**	Indian
Amount Paid :	10	**Mode of Payment**	Demand Draft
Mode(s) of information Supply :	Hard Copy		
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	No(Normal)	**Request Pertains to :**	Ajay Joshi(PG)
Information Sought :	GMR Chhattisgarh Energy Ltd. Raipur		

Print Close

1-1 Speed Post Urgent

जन सुचना अधिकारी
भारत सरकार विद्युत् मंत्रालय
कार्यालय सचिव विद्युत्
श्रम शक्ति भवन रफ़ी मार्ग न्यू डेल्ही – ११०००१

विषय :- सुचना के अधिकार अदिनियम २००५ के तहत जानकारी देने बाबत ।

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के तहत निम्न दस्तावेज सत्यापित कर देने का कष्ट करे । रुपये १० का ड्राफ्ट ०६६२२५ दिनांक १६-१२-२०१३, एक्सिस बैंक संलग्न है ।

(अ) जी.ऍम.आर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड रायपुर को विद्युत् मंत्रालय नई दिल्ली ने विद्युत अधिनियम २००३ की धारा ६८ तथा १६४ के तहत स्वीकृति प्रदान की है (पत्र सं. ११/०२/२०१० पि.जी. दिनांक ०८/११/२०१० तथा विद्युत मंत्रालय आदेश का.आ. २०५० अ- ०८/०९/२०११) इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करने हेतु बनाई गयी "नियमावली" भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति राशी आकलन भुगतान विधि निर्धारित प्रपत्रों के साथ देवे । क्या कंपनी स्वयं ही क्षतिपूर्ति राशी का निर्धारण कर सकती है नियमो में दर्शित कर प्रति देवे ।

(ब) "अ" मे दर्शित कार्य पॉवर ग्रेड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड संलग्न फोर्मेट में तहसीलदार से निर्धारण करवाती है क्या यह विधि, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी नियमावली/ प्रावधानों के तहत है । इससे सम्बंधित दस्तावेज देवें ।

(स) उपरोक्त कंपनी को विद्युत मंत्रालय दिल्ली ने ४०० के.वि. लाइन डालने की सभी अनुमतियाँ तथा लाइन रूट-मैप स्वीकृत किया है तहसील तिल्दा – धरसींवां के ग्रामों को स्प्ष्टतया चिन्हित कर देवें जिसमे ग्राम कोदवा भी हो जोकी सम्बंधित सभी दस्तावेजों (लाइन रूट मैप) में भी नहीं दिख रहा है ।

सधन्यवाद

भवदीय

संलग्न :- मूल ड्राफ्ट एवं फॉर्मेट २ पृ

तारीख १८-१२-२०१३

मो. 91-9826111124

(कृष्ण कुमार सिन्हा)
D-5 आनन्द निकेतन
पोस्ट शंकर नगर,
अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़

SO(RTI)
7911 ERIPI013
23/12

1339

पावर ग्रिड

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

नोटिस

[देखें : विद्युत अधिनियम, 2003 (धारा 68 एवं 164, : भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग–III के साथ पठित)
और विद्युत नियमावली, 1956]

प्रति ....

....

प्रिय महोदय/महोदया,

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 24.12.2003, जो भारतीय राजपत्र में प्रकाशित है, द्वारा केन्द्र सरकार ने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) को स्थापित या अनुरक्षित विद्युत लाइन अथवा विद्युत के संचरण के लिए स्थापित या अनुरक्षित की जाने वाली विद्युत लाइन अथवा दूरभाष या तार द्वारा संसूचना के प्रयोजनार्थ, जो कार्यों के उचित समन्वय हेतु आवश्यक हो, के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग – III के अंतर्गत ''तार प्राधिकारी'' हेतु निहित समस्त शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया है।

एतद् द्वारा नोटिस दी जाती है कि सीपत से रायपुर तक 400 केवी संचरण लाइन आपकी निम्नलिखित संपत्ति से गुजरेगी। उक्त संचरण लाइन के निर्माण/उत्थापन के दौरान हालाँकि इस बात की अत्यंत सावधानी बरती जाएगी कि वृक्ष(क्षों) और/या फसल(लों) को यथासंभव कम से कम क्षति पहुंचे, फिर भी कुछ न्यूनतम अपरिहार्य क्षति होने की संभावना है। इस प्रकार गिराए गए/काटे गए वृक्ष(क्षों)/फसल(लों) को आपको सौंप दिया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इन्हें प्राप्त करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। गिराए गए वृक्ष(क्षों) एवं वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त फसल(लों) के उत्पाद हेतु आपको एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/राजस्व विभाग या राज्य समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

जिला/तहसील का नाम	वृक्ष(क्षों)/फसल(लों) का विवरण	कार्य का विवरण

1) ग्राम का नाम ....
2) फील्ड आर.एस. सं. ....
3) काटे जाने वाले वृक्षों या फसलों का ब्यौरा ....
4) स्वामी का नाम ....
5) पता ....

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
के लिए और इसकी ओर से

नोटिस प्राप्त की

नाम ....

(स्वामी के हस्ताक्षर)

दिनांक ....

स्थान ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

दिनांक ....

स्थान ....

प्रतिलिपि : तहसीलदार एवं एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ... आपसे अनुरोध है कि ऊपर लिखित स्वामी के रिकार्ड से स्वामित्व का सत्यापन करते हुए, गिराए गए/काटे गए वृक्ष(क्षों)/फसल(लों) के कारण हुई वास्तविक हानि का मूल्यांकन करने का कष्ट करें।